न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 102/2021 बउनवानी दिनेश खण्डेलवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर पुत्र श्री जे.पी.खण्डेलवाल, निवासी खण्डेलवाल मोटर्स, प्रा.लि. जयपुर रोड़ महवा, जिला दौसा

GCMS No-2021/296 **On Line No-321208985232731**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
1.12.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 22.6.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. जिला कलेक्टर कार्यालय सवाईमाधोपुर द्वारा जारी भू–रूपान्तरण आदेश क्रमांक 3/राजस्व/86/1770 दिनांक 22.3.1986 की सम्पूर्ण पत्रावली एवं आदेश की प्रति।
2. जिला कलेक्टर कार्यालय सवाईमाधोपुर द्वारा जारी भू–रूपान्तरण आदेश क्रमांक प.1/राजस्व/81/7895–97 दिनांक 31.12.1985 की सम्पूर्ण पत्रावली एवं आदेश की प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्र0अधि. जिला अभिलेखागार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ. 3(11)/सूकाअ/पोर्टल/2021/2314 दिनांक 01.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.6.2021 के बिन्दु संख्या 2 की सूचना कुल 24 पृष्ठो की लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1347 दिनांक 28.7.2021 रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। किन्तु बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना से संबंधित पत्रावली जिला अभिलेखागार में उपलब्ध नही होने के कारण प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग से रिकार्ड नम्बर व जमा दिनांक की जानकारी चाहने बाबत प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार के पत्रांक रिकार्ड/2021/287–89 दिनांक 10.11.2021, 366 दिनांक 26.11.2021 से एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर के पत्रांक एफ.3()सूकाअ/पोर्टल/2021/2113दिनांक 15.11.2021,2167 दिनांक 22.11.2021 एवं पत्रांक 2311 दिनांक 30.11.2021 से प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को लिखा गया है किन्तु प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा उक्त पत्रावली का रिकार्ड नम्बर व जमा दिनांक की जानकारी उपलब्ध नही करवाये जाने के कारण उक्त पत्रावली तलाश नही हो पायी है शीघ्र ही पत्रावली तलाश कर अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाये जाने के प्रयास जारी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.6.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 की सूचना (कुल 24 पृष्ठो की) अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1347 दिनांक 28.7.2021 रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी जा चुकी है। शेष बिन्दु संख्या 1 की सूचना से संबंधित पत्रावली के रिकार्ड नम्बर एवं जमा दिनांक की जानकारी के अभाव मे रिकार्ड रूम मे [illegible] ही हो पाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः प्रभारी अधिकारी राजस्व [illegible] को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली का रिकार्ड नम्बर एवं [illegible] दिवस मे प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार को उपलब्ध करावे। [illegible] अनुभाग मे उपलब्ध हो[illegible]पके स्तर से अपीलान्ट को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवायी जावे[illegible] उक्त निर्देश के साथ [illegible] अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:37:31 IST
Reason: SelfAttested